**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

***निर्णय की तिथि: 20.02.2025***

**सि.वि.(मु.) 352/2025 व सि.वि.आ. 10381/2025 रोक**
**CM(M) 352/2025 & CM APPL. 10381/2025 STAY**

मेसर्स थेमिसिस मेडिकेयर लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वैभव, अधिवक्ता

बनाम

मैसर्स डायनामिक लेबल्स एंड पैकेजिंग .... प्रत्यर्थी

द्वारा:

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंद्र डुडेजा**

**<u>निर्णय (मौखिक)</u>**

**<u>न्या. रविंद्र डुडेजा,</u>**

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 24.08.2015 एवं दिनांक 14.11.2024 को माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तर रोहिणी न्यायालय द्वारा सीएस डीजे/58736/2016 में पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर

आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. संक्षेप में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध ₹11,72,883/- की वसूली हेतु वाद दायर किया, यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता ने क्रय आदेश दिए थे और उनके संतोषजनक निष्पादन के पश्चात् प्रत्यर्थी ने बिल प्रस्तुत किए। आंशिक भुगतान के बावजूद ₹8,62,413/- प्रत्यर्थी को देय शेष रहा।

3. याचिकाकर्ता ने लिखित कथन दाखिल कर वाद के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति उठाई, यह दावा करते हुए कि वाद परिसीमा से वर्जित है, क्योंकि व्यापारिक लेनदेन अप्रैल 2010 से जून 2011 के मध्य संपन्न हुए थे, जबकि वाद अक्टूबर 2014 में दायर किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने परिसीमा के प्रश्न को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में निर्धारित किया और बहस सुनने के पश्चात् यह निर्णय दिया कि परिसीमा के प्रश्न पर निर्णय हेतु साक्ष्य अपेक्षित है, फलस्वरूप याचिकाकर्ता की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया।

5. इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिसीमा के आधार पर वादपत्र अस्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.11.2024 को उक्त आवेदन को अपने पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2015 पर निर्भर रहते हुए

अस्वीकृत कर दिया। दोनों आदेशों से आहत होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर कर उन्हें चुनौती दी है।"

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के मध्य व्यापारिक लेनदेन अप्रैल 2010 से जून 2011 के मध्य संपन्न हुए थे। अतः प्रत्यर्थी द्वारा अक्टूबर 2014 में दायर किया गया वाद परिसीमा की तीन वर्ष की निर्धारित अवधि से कहीं अधिक विलंबित है। इसलिए वाद परिसीमा से वर्जित है और विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किए जाने योग्य है।

7. अपने वादपत्र के अनुच्छेद 4 में प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से निवेदन किया कि प्रतिवादी के कुल बकाया बिल के संबंध में लेखा विवरण दिनांक 04.10.2011 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रतिवादी को पुष्टि हेतु भेजा गया था, किन्तु प्रतिवादी ने बकाया राशि संबंधी विवरण में कोई त्रुटि नहीं बताई। फलस्वरूप, दिनांक 11.10.2011 को भेजे गए अपने ईमेल में प्रतिवादी ने बकाया देय राशि एवं ऋण का भुगतान करने की अपनी देयता स्वीकार की, साथ ही यह भी कहा कि अप्रैल 2010 से जून 2011 तक के सभी बिल उनके कार्यालय के हरिद्वार अभिलेखों में अंकित हैं और वादी को प्रतिवादी के प्रधान कार्यालय से भुगतान प्राप्त करना चाहिए।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि संदर्भित ईमेल में याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी वर्तमान देयता की स्पष्ट एवं निर्विवाद स्वीकृति नहीं की गई है और विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तर को विद्यमान देयता की

स्वीकृति के रूप में त्रुटिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित किया, जबकि देयता की कोई प्रत्यक्ष स्वीकृति नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि उक्त ईमेल याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के ईमेल के उत्तर स्वरूप भेजा गया था, परन्तु उसमें कहीं भी किसी देयता को स्वीकार नहीं किया गया।

9. परिसीमा संबंधी आपत्तियों के आधार पर विचारण न्यायालय ने यह विशिष्ट मुद्दा निर्धारित किया कि क्या वादी का वाद परिसीमा से बाधित है। उक्त मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लिया गया। पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, विवादित आदेश दिनांक 24.08.2015 द्वारा माननीय विचारण न्यायालय का मत था कि परिसीमा का प्रश्न साक्ष्य की अपेक्षा करता है। आदेश दिनांक 24.08.2015 का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

> *"पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को सुनने तथा वादपत्र का अवलोकन करने के पश्चात् इस न्यायालय का विचार है कि बहस के दौरान प्रतिवादी ने दिनांक 11.10.2011 के ईमेल को स्वीकार किया है। यदि उक्त ईमेल को ध्यान में रखा जाए तो वाद दिनांक 11.10.2014 तक दायर किया जाना अपेक्षित था और वर्तमान वाद दिनांक 09.10.2014 को दायर किया गया है। जहाँ तक दिनांक 11.10.2011 के ईमेल की स्वीकार्यता का प्रश्न है, उसका निर्णय केवल पक्षकारों के साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः इस चरण पर वादी का वाद परिसीमा से वर्जित मानकर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता और परिसीमा के प्रश्न हेतु साक्ष्य आवश्यक होता है।"*

10. स्वीकार्य रूप से दिनांक 24.08.2015 का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा कभी चुनौती के अधीन नहीं रहा है। जब विचारण न्यायालय पहले ही यह

निर्णय दे चुका था कि परिसीमा के विवाद्यक के निर्धारण हेतु साक्ष्य वांछित है, तो यह समझ से परे है कि आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह विवाद्यक उठाते हुए पुनः आवेदन क्यों दायर किया गया। दिनांक 14.11.2024 के आदेश के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

> "6.) अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र के अनुच्छेद 4 में वादी का यह कथन है कि दिनांक 11.10.2011 के ईमेल द्वारा प्रतिवादी ने अपनी देयता स्वीकार की। दिनांक 09.10.2014 को वाद दायर किया गया है और इसे परिसीमा से वर्जित नहीं माना जा सकता। यह स्थापित विधि है कि वादपत्र अस्वीकृत किए जाने के चरण पर केवल वादपत्र में किए गए निवेदनों को ही देखा जाता है (इस संबंध में *सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (2003) I SCC 557, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत, पर निर्भरता जताई गई है)
>
> 7.) वादी के अधिवक्ता द्वारा यह उचित रूप से प्रतिविरोध किया गया है कि इन तर्कों को पहले ही दिनांक 24.08.2015 के आदेश के माध्यम से निपटान किया जा चुका है।
>
> इसके अतिरिक्त, परिसीमा विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तथा परिसीमा संबंधी विवाद्यक संख्या 2 दिनांक 21.04.2015 को पहले ही विरचित किया जा चुका है। इस न्यायालय के विचारानुसार, विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय वाद में अंतिम बहस के दौरान पक्षकारों द्वारा पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् किया जाएगा। इस चरण पर वादपत्र अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। **आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। तथापि, इस आदेश में कही गई कोई भी बात मुख्य वाद के गुणदोषों को प्रभावित नहीं करेगी**

11. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने परिसीमा के विवाद्यक को जानबूझकर उठाया, आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दायर कर, ताकि उसे आदेश को चुनौती देने हेतु नई परिसीमा अवधि प्राप्त हो सके, जबकि उसने पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2015 को चुनौती नहीं दी थी। यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

12. विचारण न्यायालय ने उचित प्रकार से यह निर्णय दिया है कि वर्तमान मामले में परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय पक्षकारों द्वारा पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अंतिम बहस के दौरान किया जाएगा। इस आदेश में मुझे कोई विकृति अथवा अवैधता प्रतीत नहीं होती।

13. वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाया जाता। अतः याचिका खारिज की जाती है।

**न्या. रविंद्र डुडेजा,**

**20 फरवरी, 2025**/*आईबी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*